बिहार विधान-सभा वादवृत्त

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार दिनांक २६ मार्च १९५८ को ११ बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

विधायी कार्य : सरकारी विधेयक :

LEGISLATIVE BUSINESS : OFFICIAL BILLS :

बिहार ऐप्रोप्रियेशन बिल, १९५८ (१९५८ की वि० स० १०)

The Bihar Appropriation Bill, 1958 (Bill no. 10 of 1958)

श्री अम्बिका सिंह—मैं बिहार ऐप्रोप्रियेशन बिल, १९५८ को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष—विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

श्री अम्बिका सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार ऐप्रोप्रियेशन बिल, १९५८ पर विचार हो।

अध्यक्ष—मैं इस संबंध में नियम १८८ के उप-नियम ५ को सदन के सामने पढ़ कर सुना देना चाहता हूं जिससे माननीय सदस्यों को वाद-विवाद करने में सुविधा हो—

"If an appropriation Bill is in pursuance of a supplementary grant in respect of an existing service, the discussions shall be confined to the items constituting the same....."

श्री रामानन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि जो चीज बजट में है, जिस पर बहस नहीं की गई है और वह बातें सामने लोगों के नहीं आई हैं उन्हीं को उपस्थित करूं। अध्यक्ष महोदय, एक मुंघरा कांड हुआ.....

मैं सरकार का ध्यान आइटम नम्बर २९ जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की ओर ले जाना चाहता हूं। यह पेज ८५ पर है।

It is under 25-General Administration—New scheme of the Second Supplementary Statement of Expenditure. The provision under this head represents 25 per cent of the provisions under the corresponding units under the head "85 A—Capital Outlay on State Schemes of Government Trading—Grain Supply Scheme—Purchase of foodgrains—Other charges—District Charges". The provision under the head in question requires to be augmented owing to heavy expenditure on printing of ration cards. The schedule provides funds for the purpose.

श्री सनाथ राउत
श्री बिन्जामिन हंसदा
श्री मनी लाल यादव
श्री चुनका हेम्ब्रम
श्री महेन्द्र महतो
श्री कपिलदेव सिंह
श्री राम चरित्र सिंह
श्री वैजनाथ प्रसाद सिंह
श्री रामानन्द तिवारी
श्री दशरथ तिवारी
श्री बद्री सिंह
श्री प्रियव्रत नारायण सिंह
श्री गोपाल रविदास
श्री नन्द किशोर सिंह
श्री रामेश्वर मांझी
श्री शिशिर कुमार महतो
श्री श्याम चरम मुर्मू
श्री सुपाई सोरेन
श्री सुखदेव मांझी
श्री सनातन समद
श्री शरण बालमुच
श्री शुभनाथ देवगम
श्री श्याम कुमार पसारी
श्री धान सिंह मुन्डा
श्री जगन्नाथ महतो
श्री वीर सिंह मुन्डा
श्री जुलियस मुन्ड
श्री सुकरा उरांव
श्री कृपा उरांव
श्री प्रीतम कुजूर
श्री राम विलास प्रसाद
श्री इगनेश कुजूर
श्री राम कृष्ण राम
श्री भोला मांझी
श्री शिव महादेव प्रसाद
श्री श्री भगवान सिंह
श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा
श्री दशरथ तिवारी
श्री अम्बिका सिंह
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद सिंह
श्री कैलाशपति सिंह
श्री शालिग्राम सिंह
श्री मोती राम
श्री यतीन्द्र नाथ रजक
श्री जौन मुजनी

पक्ष में १०१
विपक्ष में ६४
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार सेल्स टैक्स (डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर ऐंड वैलिडेशन ऑफ एसेसमेंट्स) बिल, १९५८ (१९५८ की वि० सं० ९ ।).

THE BIHAR SALES TAX (DEFINITION OF TURNOVER AND VALIDATION OF ASSESSMENTS) BILL, 1958 (L. A. BILL NO. 9 OF 1958).

श्री अम्बिका सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिहार सेल्स टैक्स (डेफिनेशन ऑफ टर्नओभर ऐंड भैलीडेशन ऑफ एसेसमेंट्स) बिल, १९५८ पर विचार हो ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह कि बिहार सेल्स टैक्स (डेफिनेशन ऑफ टर्नओभर ऐंड भैलीडेशन ऑफ एसेसमेंट्स) बिल, १९५८ पर विचार हो ।

Shri RAMCHARITRA SINGH : Sir, it is a very important Bill.

SPEAKER : But it is a purely validating Bill at the sametime.

Shri PURUSHOTTAM CHAUHAN : Sir, I had given an amendment that the Bill be referred to a Select Committee. What happened to that amendment of mine ? The High Court has also given its ruling on the subject.

SPEAKER : The hon'ble member ought to be aware that the Chair has got the power to declare any Bill to be a financial Bill.

श्री अम्बिका सिंह—इस बिल में कोई विशेष बात नहीं है। सिर्फ टर्नओभर में सेल्स टैक्स जोड़ देना है।

अध्यक्ष—आप टर्नओभर को साफ कर दीजिये। सभी लोग इसको समझ नहीं सकेंगे।

श्री अम्बिका सिंह—हमने सेल्स टैक्स को टर्नओभर में जोड़ दिया था और डीलर को २ प्रतिशत 'रिबेट' दिया था लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि सेल्स टैक्स को टर्न ओभर में जोड़ नहीं सकते हैं। हमारे लिय हाई कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। इसलिये हमने पहली अक्टूबर, १९४९ से लेकर ३१ मार्च, १९५६ तक जो पैसा रियलाइज किया था उसको भैलीडेट करने के लिये यह बिल पास करना चाहते हैं। हुजूर, मद्रास में भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी और वहां थी ऐसा ही करना पड़ा था। इसके बाद एक कम्प्रेहेन्सिव बिल हमारा है मल्टीपरपस के बारे में वह आगे आने वाला है।

Shri RAMCHARITRA SINGH : As far as I have been able to follow the Deputy Minister, Finance, they follow certain procedure which the High Court has declared illegal. They now want to legalise it. But the question before us is whether we should allow the Government to have Bills passed by this House without considering whether they are legal or illegal, and when the Judiciary decides against a Bill, Government come up before the House to validate it. It is therefore clear that the Government are not at all vigilant, rather they behave like John Gilpin who was riding without caring for anything. So we should not allow Government to proceed with this bill.

श्री रामानन्द तिवारी—यह कल्ह तक के लिये स्थगित कर दिया जाय चूंकि इसे हमलोगों को ठीक से देखने का मौका नहीं मिला है।

अध्यक्ष—२४ तारीख को यह बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ था। उस दिन आपलोगों ने कहा कि इसे देखने का मौका नहीं मिला है इसलिए हमने इसे आज की तारीख के लिये रखा।

श्री रामानन्द तिवारी—अब तो केवल १० मिनट समय भी रह गया है।

अध्यक्ष—आज इसे रोक देने में मुझे कोई उज्र नहीं है लेकिन २७ तारीख के लिये जो काम निश्चित किया हुआ है उसके ऊपर ही यह आवेगा और मैं चाहूँगा कि एक दिन का काम एक ही दिन में समाप्त हो जाय।

श्री राम चरित्र सिंह—कल्ह प्राइमरी एडुकेशन बिल, कार्ट्स रजिस्ट्रेशन बिल और भूदान यज्ञ बिल है। यह कोई खास इम्पोर्टेन्ट बिल नहीं है और यदि कल्ह समाप्त न हो सका तो अगले आफिशियल दिन के लिये इन्हें स्थगित किया जा सकता है। लेकिन यह तो महत्त्वपूर्ण बिल है इसलिये हमलोगों को मौका मिलना चाहिये।

अध्यक्ष—कल्ह यह प्रथम आइटम में रखा जायगा।

सभा वृहस्पतिवार, तिथि २७ मार्च, १९५८ को ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।

इनायतुर रहमान,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।

पटना, तिथि २६ मार्च, १९५८।